

मालपोत कार्यालय कटारीको क्षेत्राधिकार अन्तर्गतका नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरूको जग्गा जमिनको आ.व. २०७६/०७७ मा रजिष्ट्रेशन पारित गर्ने प्रयोजनका लागि न्यूनतम मूल्याङ्कन निर्धारण गर्न मालपोत नियमावली २०३६ को नियम ५(ख) अनुसार गठित न्यूनतम मूल्याङ्कन निर्धारण समितिका अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री ध्रुव बहादुर खड्का ज्यूको अध्यक्षतामा आज मिति २०७६/३/२९ गतेका दिन मूल्याङ्कन समितिका निम्न पदाधिकारी तथा आमन्त्रितज्यूहरूको उपस्थितिमा बैठक बसी निम्न बमोजिमको निर्णय गरियो ।

### उपस्थिति

|                             |   |         |
|-----------------------------|---|---------|
| १. श्री ध्रुव बहादुर खड्का  | : प्रमुख जिल्ला अधिकारी                     | अध्यक्ष |
| २. श्री नारायण बहादुर खत्री | : जिल्ला समन्वय समिति प्रतिनिधि             | सदस्य   |
| ३. श्री सुमन बुढाथोकी       | : कर अधिकृत - करदाता सेवा कार्यालय          | सदस्य   |
| ४. श्री इन्द्र कुमार साह    | : नापी अधिकृत - नापी कार्यालय, कटारी        | सदस्य   |
| ५. श्री पुष्कर खड्का        | : अध्यक्ष - उदयपुर उद्योग वाणिज्य संघ       | सदस्य   |
| ६. श्री शिव पौडेल           | : प्रबन्धक - राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, गाईघाट | सदस्य   |
| ७. श्री नेत्रराज भण्डारी    | : कार्यालय प्रमुख - मालपोत कार्यालय, कटारी  | सदस्य   |

### आमन्त्रित

|                           |  |
|---------------------------|--|
| १. श्री हीरा न्यौपाने     | : प्रमुख कोष नियन्त्रक                               |
| २. श्री नवराज खड्का       | : कार्यालय प्रमुख - मालपोत कार्यालय, उदयपुर          |
| ३. श्री कुमार ब. खड्का    | : प्रशासकीय अधिकृत - जिल्ला प्रशासन कार्यालय, उदयपुर |
| ४. श्री प्रमोद अधिकारी    | : ना.सु. - मालपोत कार्यालय कटारी                     |
| ५. श्री सुमन कुमार कटुवाल | : क.अ. - मालपोत कार्यालय कटारी                       |
| ६. श्री संजीव पाण्डे      | : सह-लेखापाल, मालपोत कार्यालय कटारी                  |

### निर्णयहरू :

१. मालपोत कार्यालय कटारीको क्षेत्राधिकार अन्तर्गतका नगरपालिका तथा गाउँपालिका क्षेत्रका जग्गा जमिन रजिष्ट्रेशन पारित गर्ने प्रयोजनका लागि न्यूनतम मूल्याङ्कन निर्धारण गर्नुपर्ने भएको र हाल चलन चल्ती बिक्री भाउ समेतलाई दृष्टिगत गरी हाल कायम रहेको न्यूनतम मूल्यलाई यथावत राख्न उपयुक्त देखिएकोले जग्गाको देहाय बमोजिम न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरी मिति २०७६/४/१ देखि लागु गर्ने निर्णय गरियो ।
२. यो मूल्याङ्कन सभै नापी हुँदाका बखत कायम रहेका स्थानीय निकायका नाम र सिमानाका आधारमा तय गरिएको छ ।
३. कुनै व्यक्तिले न्यूनतम मूल्यभन्दा कम हुने गरी कार्यालयलाई समेत भुक्त्याई लिखत पारित गराएको पछि पत्ता लागेमा वा लेखापरीक्षणबाट वेरुजु देखिएमा त्यस्तो रकम रजिष्ट्रेशन दस्तुरको हकमा जग्गा खरिद गर्ने व्यक्तिबाट र पुँजीगत लाभकरको हकमा जग्गा बिक्री गर्ने व्यक्तिबाट सरकारी वा की सरह असुल गरिनेछ ।
४. सडकको दाया बाया भन्नाले सडकको मुखबाट ३० मिटर पछाडिसम्मलाई सम्भन्नु पर्छ । सोबाहेक अन्य सडकले छोए सोही बमोजिम बाटोले छोएको जग्गा मानिनेछ ।
५. नगरपालिका तथा गाउँपालिकाको कुनै वडा नम्बरको कुनै भाग छुट्टन गएमा छुटेका ठाउँ स ग जोडिएको भागमा तोकिएको मूल्य बराबर हुनेछ ।
६. लिखत पेश गर्दा मूल्याङ्कन कायम गर्ने प्रयोजनको लागि स्थानीय तहको घरबाटो सिफारिस अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने छ ।

७. पारित हुने जग्गामा कच्ची पक्की घर, ग्वाली, टहरो आदि कुनै संरचना भए लिखतमा उल्लेख गरी सोको मूल्य समेत खुलाउनु पर्नेछ । लिने दिने व्यक्तिले व्यहोरा फरक पारी घर बाटो छली लिखत पारित गराएमा र पछि पत्ता लागेमा घर जग्गा रोक्का राखी सरकारी वा की सरह राजस्व असुल गरिनेछ ।
८. आ.व. २०७६/०७७ का लागि मूल्य निर्धारण भएपछि कित्ताकाट भई नया कायम कित्ताको मूल्य यसै मूल्याङ्कन अनुसार हुनेछ ।
९. साविक कटारी र रिस्कू गा.वि.स.को एकाइमा प्रतिकठ्ठा र पहाड तर्फका साविक गा.वि.स.हरूको एकाइमा प्रति रोपनी कायम भएको छ ।
१०. कुनै जग्गा खोला, नदी वा पहिरोमा परी न्यूनतम मूल्यभन्दा पनि घटी मूल्यमा किनबेच भइरहेको भनी स्थानीय तहको कितानी सिफारिस साथ लिखत पेश भएमा सो वडाको न्यूनतम मूल्याङ्कनमा ५० प्रतिशत घटी मूल्य राखी पेश गरेमा मूल्य पुगेको मानी लिखत पारित गरिदिन सकिनेछ ।
११. स्थानीय तहले घर बाटोको सिफारिस गर्दा जग्गामा के कस्तो सडक, बाटो छ ? यस मूल्याङ्कन पुस्तिकामा उल्लेख भएको व्यहोरालाई फरक नपारी पठाउनु पर्नेछ । साथै घर वा कुनै संरचना भई सो समेतको कारोबार हुनेमा घर/संरचनाको मूल्य खुलाई पठाउनु पर्नेछ । घर/संरचनाको कारोबार नहुनेमा सो व्यहोरा समेत खुलाई पठाउनु पर्नेछ ।
१२. कुनै कित्ता नम्बर छुट भएको देखिएमा गत वर्षको मूल्याङ्कनलाई आधार मान्न सकिनेछ ।
१३. स्थानीय निकायबाट बाटो नभएको भनी सिफारिस भएको तर कित्ताकाट भै लिखत पारित हुन आउ दा ट्रेस नक्सामा बाटो कायम हुन गएको देखिए सोहीअनुरूप मूल्याङ्कन कायम गरिनेछ ।
१४. बाटोमा परेका जग्गाहरूको कित्ता नम्बरहरू थपघट भए स्थानीय तहको सिफारिसमा नापी कार्यालयको नक्सा हेरी यकिन गर्न सकिनेछ, साथै छुटेका कित्ता नम्बरहरू नक्सा बमोजिम बाटोको न्यूनतम मूल्याङ्कन कायम हुनेछ ।
१५. कटारी नगरपालिकाको हकमा प्लट मिलान बाहेक तराई तर्फ १० धुर वा सो भन्दा घटी तथा पहाड तर्फ ४ आना वा सो भन्दा घटी जग्गा खरिद बिक्री भएमा घडेरी प्रयोजनको लागि मानी सोही वडाको उपशाखा बाटोको मूल्य कायम गरिनेछ ।
१६. कुनै जग्गालाई दोहोरो बाटोले छोएकोमा छोएका बाटामध्ये अधिकतम मूल्य कायम गरिनेछ ।



# १. कटारी

---

---

---







---











-





















-

-

---

---





-



-



-

---

---



-

-

---

---





---

---

---

---

-

---

---



-

---

---

-



-







|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## २. रिस्कू

-

-

---

---



---

---



रिस्कू २घ सोमवारे बजार र रिस्कू ४क विहीबारे बजार क्षेत्र मूल सडकले छोएका जग्गा प्रतिकट्टा रु ४,००,०००/(चार लाख), सो बजार क्षेत्रमा शाखा सडकले छोएका जग्गा प्रतिकट्टा रु ३,००,०००/(तीन लाख) तथा उपशाखा प्लानिड सडकले छोएका जग्गा प्रतिकट्टा रु २,००,०००/(दुई लाख) ।

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

३. त्रिवेणी

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

#### ४. सिरिसे

- क) सिरिसे ६ बेतिनी बजार क्षेत्र, सिरिसे ७ख, ७ग पटना भन्ज्याङ बजार क्षेत्र तथा सिमेन्ट खानी क्षेत्र, सिरिसे ८क घुम्ती र सिरिसे ८घ बर्मी बजार क्षेत्र मूल पिच सडकले छोएका जग्गा प्रति रोपनी रु २,००,०००/- (दुई लाख) ।  
सो बजार क्षेत्रमा अन्य सडकले छोएका जग्गा प्रति रोपनी रु १,००,०००/- (एक लाख) ।
- ख) बेतिनी-माभखर्क सडकले छोएका जग्गा प्रति रोपनी रु १,००,०००/- (एक लाख) ।
- ग) अन्य क्षेत्रमा सडकले छोएका सम्पूर्ण जग्गा प्रति रोपनी रु ५०,०००/- (पचास हजार) ।
- घ) उपर्युक्त बाहेक साविक सिरिसे गाविसका अन्य सम्पूर्ण जग्गाहरूको देहायबमोजिम न्यूनतम मूल्याङ्कन कायम गरिएको छ ।

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

## ५. हर्देनी कालिका

- क) हर्देनी कालिका ४ग गहुँबारी बजार क्षेत्र मूल पिच सडकले छोएका जग्गा प्रति रोपनी रु ३,००,०००/(तीन लाख) ।  
 सो बजार क्षेत्रमा अन्य सडकले छोएका जग्गा प्रति रोपनी रु १,५०,०००/(एक लाख पचास हजार) ।
- ख) हर्देनी कालिका ८ग वसेरी बजार क्षेत्र मूल सडकले छोएका जग्गा प्रति रोपनी रु ४,००,०००/(चार लाख) ।  
 सो बजार क्षेत्रमा शाखा सडकले छोएका जग्गा प्रति रोपनी रु २,००,०००/(दुई लाख) तथा उपशाखा/प्लानिड सडकले छोएका जग्गा प्रति रोपनी रु १,००,०००/(एक लाख) ।
- ग) अन्य बजार क्षेत्रमा सडकले छोएका जग्गा प्रति रोपनी रु १,००,०००/-(एक लाख) ।
- घ) माथि उल्लेख भएबाहेक सा. हर्देनी गाविसमा सडकले छोएका सम्पूर्ण जग्गा प्रति रोपनी रु ५०,०००/-(पचास हजार) ।
- ङ) उपर्युक्त बाहेक साविक हर्देनी कालिका गाविसका अन्य सम्पूर्ण जग्गाहरूको देहायबमोजिम न्यूनतम मूल्याङ्कन कायम गरिएको छ ।

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## ६. मयङ्खू

- क) साविक मयङ्खू गाविसका बजार क्षेत्रमा सडकले छोएका जग्गा प्रति रोपनी रु १,००,०००/-(एक लाख) ।
- ख) अन्य क्षेत्रमा सडकले छोएका सम्पूर्ण जग्गा प्रति रोपनी रु ५०,०००/-(पचास हजार) ।
- ग) उपर्युक्त बाहेक साविक मयङ्खू गाविसका अन्य सम्पूर्ण जग्गाहरूको देहायबमोजिम न्यूनतम मूल्याङ्कन कायम गरिएको छ ।

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## ७. लेखानी

सडकले छोएका जग्गा प्रति रोपनी रु ५,००,०००/(पाँच लाख) ।

- ख) लेखानी एक लेखानी बजार, एक बाँसवारी बजार तथा एक, एक भोगटेनी बजार क्षेत्र सिद्धिचरण मार्गले छोएका जग्गा प्रति रोपनी रु ३,००,०००/(तीन लाख) ।  
सो बजार क्षेत्रमा अन्य सडकले छोएका जग्गा प्रति रोपनी रु १,५०,०००/-(एक लाख पचास हजार) ।

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## द. सोरुड छबिसे

- क) सोरुड छबिसे ७ग बेतिनी बजार क्षेत्रमा मूल पिच सडकले छोएका जग्गा प्रति रोपनी रु ३,००,०००/(तीन लाख) ।  
सो बजार क्षेत्रमा अन्य सडकले छोएका जग्गा प्रति रोपनी रु १,५०,०००/(एक लाख पचास हजार) ।
- ख) साविक सोरुड छबिसे गाविसका अन्य बजार क्षेत्रमा सडकले छोएका जग्गा प्रति रोपनी रु १,००,०००/(एक लाख) ।
- ग) अन्य क्षेत्रमा सडकले छोएका सम्पूर्ण जग्गा प्रति रोपनी रु ७५,०००/(पचहत्तर हजार) ।
- घ) उपर्युक्त बाहेक साविक सोरुड छबिसे गाविसका अन्य सम्पूर्ण जग्गाहरूको देहायबमोजिम न्यूनतम मूल्याङ्कन कायम गरिएको छ ।

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## ९. लिम्पटार

- क) साविक लिम्पटार गाविसका बजार क्षेत्रमा सडकले छोएका जग्गा प्रति रोपनी रु १,५०,०००/(एक लाख पचास हजार) ।
- ख) बेतिनी-बतासे-माभखर्क सडकले छोएका जग्गा प्रति रोपनी रु १,००,०००/(एक लाख) ।
- ग) अन्य क्षेत्रमा सडकले छोएका सम्पूर्ण जग्गा प्रति रोपनी रु ५०,०००/(पचास हजार) ।
- घ) उपर्युक्त बाहेक साविक लिम्पटार गाविसका अन्य सम्पूर्ण जग्गाहरूको देहायबमोजिम न्यूनतम मूल्याङ्कन कायम गरिएको छ ।

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

### १०. थाक्ले/तावाश्री

- क) थाक्ले ६घ बाहुनीटार बजार क्षेत्र मूल सडकले छोएका जग्गा प्रति रोपनी रु २,००,०००/(दुई लाख)  
सो बजार क्षेत्रमा शाखा/उपशाखा सडकले छोएका जग्गा प्रति रोपनी रु १,००,०००/(एक लाख)।
- ख) अन्य बजार क्षेत्रमा सडकले छोएका जग्गा प्रति रोपनी रु १,००,०००/(एक लाख) ।
- ग) माथि उल्लेख भएबाहेक साविक थाक्ले/तावाश्री गाविसमा सडकले छोएका सम्पूर्ण जग्गा प्रति रोपनी रु ७५,०००/(पचहत्तर हजार) ।
- घ) उपर्युक्त बाहेक साविक थाक्ले/तावाश्री गाविसका अन्य सम्पूर्ण जग्गाहरूको देहायबमोजिम न्यूनतम मूल्याङ्कन कायम गरिएको छ ।

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## ११. बरें

- क) बरें ४क घट्टा बजार तथा बरें ५क, ६ग जरुवा बजार क्षेत्र मूल सडकले छोएका जग्गा प्रति रोपनी रु २,००,०००/- सो बजार क्षेत्रमा शाखा सडकले छोएका जग्गा प्रति रोपनी रु १,००,०००/ (एक लाख) तथा उपशाखा प्लानिड सडकले छोएका जग्गा प्रति रोपनी रु ७५,०००/(पचहत्तर हजार) ।
- ख) अन्य बजार क्षेत्रमा सडकले छोएका जग्गा प्रति रोपनी रु ७५,०००/(पचहत्तर हजार) ।
- ग) माथि उल्लेख भएबाहेक साविक बरें गाविसमा सडकले छोएका सम्पूर्ण जग्गा प्रति रोपनी रु ५०,०००/(पचास हजार) ।
- घ) उपर्युक्त बाहेक साविक बरें गाविसका अन्य सम्पूर्ण जग्गाहरूको देहायबमोजिम न्यूनतम मूल्याङ्कन कायम गरिएको छ ।

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## १२. इनामे

- क) इनामे इक भिल्के बजार क्षेत्र मूल सडकले छोएका जग्गा प्रति रोपनी रु २,००,०००/(दुई लाख) ।  
सो बजार क्षेत्रमा शाखा सडकले छोएका जग्गा प्रति रोपनी रु १,००,०००/(एक लाख) तथा उपशाखा प्लानिङ सडकले छोएका जग्गा प्रति रोपनी रु ७५,०००/(पचहत्तर हजार) ।
- ख) अन्य बजार क्षेत्रमा सडकले छोएका जग्गा प्रति रोपनी रु ७५,०००/-(पचहत्तर हजार) ।
- ग) माथि उल्लेख भएबाहेक साविक इनामे गाविसमा सडकले छोएका सम्पूर्ण जग्गा प्रति रोपनी रु ५०,०००/(पचास हजार) ।
- घ) उपर्युक्त बाहेक साविक इनामे गाविसका अन्य सम्पूर्ण जग्गाहरूको देहायबमोजिम न्यूनतम मूल्याङ्कन कायम गरिएको छ ।

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## १३. लेखगाउँ

- क) साविक लेखगाउँ गाविसका बजार क्षेत्रमा सडकले छोएका जग्गा प्रति रोपनी रु १,००,०००/(एक लाख) ।
- ख) अन्य क्षेत्रमा सडकले छोएका सम्पूर्ण जग्गा प्रति रोपनी रु ५०,०००/-(पचास हजार) ।
- ग) उपर्युक्त बाहेक साविक लेखगाउँ गाविसका अन्य सम्पूर्ण जग्गाहरूको देहायबमोजिम न्यूनतम मूल्याङ्कन कायम गरिएको छ ।

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

### १४. ओख्ले

- क) साविक ओख्ले गाविसका बजार क्षेत्रमा सडकले छोएका जग्गा प्रति रोपनी रु १,००,०००/(एक लाख) ।  
 ख) अन्य क्षेत्रमा सडकले छोएका सम्पूर्ण जग्गा प्रति रोपनी रु ५०,०००/(पचास हजार) ।  
 ग) उपर्युक्त बाहेक साविक ओख्ले गाविसका अन्य सम्पूर्ण जग्गाहरूको देहायबमोजिम न्यूनतम मूल्याङ्कन कायम गरिएको छ ।

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |



## १५. रुपाटार

- क) रुपाटार बजार, कुमालटार बजार र कटहरे बजार क्षेत्रमा सडकले छोएका जग्गा प्रति रोपनी रु २,००,०००/- (दुई लाख) ।
- ख) अन्य क्षेत्रमा सडकले छोएका सम्पूर्ण जग्गाहरु प्रति रोपनी रु ७५,०००/- (पचहत्तर हजार) ।
- ग) उपर्युक्त बाहेक साविक रुपाटार गाविसका अन्य सम्पूर्ण जग्गाहरुको देहायबमोजिम न्यूनतम मूल्याङ्कन कायम गरिएको छ ।

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## १६. ठानागाउँ

- क) साविक ठानागाउँ गाविसका बजार क्षेत्रमा सडकले छोएका जग्गा प्रति रोपनी रु १,००,०००/- (एक लाख)
- ख) अन्य क्षेत्रमा सडकले छोएका सम्पूर्ण जग्गा प्रति रोपनी रु ५०,०००/- (पचास हजार) ।
- ग) उपर्युक्त बाहेक साविक ठानागाउँ गाविसका अन्य सम्पूर्ण जग्गाहरुको देहायबमोजिम न्यूनतम मूल्याङ्कन कायम गरिएको छ ।

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |



समाप्त